न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 56 / 2024

वादिया

1. हवा पुत्री बाबूखां पत्नी खुदाबक्स जाति मुसलमान (सिंधी) निवासी इबु खां की ढाणी ग्राम बोयल तहसील पीपाडशहर हाल निवास ग्राम सिंधीनगर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. इमरान खां पुत्र खुदाबक्स मेहर
2. खुदाबक्स मेहर पुत्र गबरू खान
3. फिरोज पुत्र खुदाबक्स मेहर
4. मदीना पुत्री खुदाबक्स मेहर
5. मुमताज पुत्री खुदाबक्स मेहर जातियान मुसलमान (सिंधी) निवासीगण ग्राम सिंधीनगर तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :–वादिया की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता।
प्रतिवादी सं. 2– स्वयं उपस्थित।
प्रतिवादी सं. 1, 3, 4, 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 6–सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक :– 20/07/24

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सिन्धीनगर, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 437 / 1 रकबा 0.0809 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आई हुई है, जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त कृषि भूमि में खातेदार लाच्छी पत्नी खुदाबक्स खॉ का 133 / 400 वॉ हिस्सा निहित व दर्ज था। खातेदार लाच्छी द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित व दर्ज हिस्सा 133 / 400 वॉ के सम्बंध में वादी के पक्ष में दिनांक 20.02.2020 को वसीयतनामा निष्पादित किया, जिसमें खातेदार लाच्छी के कहने से साखकर्ता मलूखॉ पुत्र रहीम खॉं जाति मुसलमान निवासी ग्राम सिन्धीनगर, तहसील बिलाड़ा व सलु पत्नी श्री हाजी खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम सिन्धीनगर, तहसील बिलाड़ा द्वारा अपनी साख डाली व साख के रूप में उक्त वसीयतनामा पर अपने अंगुष्ठ निशान किये। उक्त वसीयतनामा नोटेरी पब्लिक जोधपुर द्वारा तस्दीक किया गया। खातेदार लाच्छी का स्वर्गवास दिनांक 15.07.2020 को हो गया। खातेदार लाच्छी फौत होने पर कानूनन वादीया के पक्ष में खातेदार लाच्छी द्वारा निष्पादित उक्त वसीयतनामा प्रभाव में आ चुका है तथा उक्त वसीयतनामा के आधार पर वादीया को वादग्रस्त कृषि भूमि में खातेदार लाच्छी के निहित व दर्ज 133 / 400 वॉ हिस्सा के सम्बंध में कानूनन हक व अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा खातेदार लाच्छी के स्वर्गवास के बाद उक्त वसीयतनामा के आधार पर वसीयतसुदा उपरोक्त हिस्से पर वादीया का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीया द्वारा खातेदार लाच्छी फौत होने पर खातेदार लाच्छी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में उसके निहित व दर्ज 133 / 400 वॉ हिस्से के सम्बंध में वादीया के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा के आधार पर म्यूटेशन दर्ज किये

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

जाने हेतु वसीयतनामा की फोटो प्रति हल्का पटवारी कापरड़ा को प्रदान कर दी तथा हल्का पटवारी कापरड़ा द्वारा वादीया को विश्वास दिलाया कि वो उक्त वसीयतनामा के आधार पर वसीयतसुदा भूमि का म्यूटेशन वादीया के नाम दर्ज कर देगा। वादीया अनपढ महिला है तथा हल्का पटवारी द्वारा दिलवाये गये विश्वास के आधार पर वादीया पुनः हल्का पटवारी के पास नही गयी। वादीया द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में वसीयतसुदा 133/400 वॉ हिस्सा की भूमि पर सुधार कार्य करने हेतु व घरेलु आवश्यकता हेतु ऋण की जरूरत होने पर ऋण हेतु आवश्यक दस्तावेज चालु जमाबन्दी की नकल हल्का पटवारी से प्राप्त करने हेतु दिनांक 21.05.2024 को हल्का पटवारी के पास गयी तथा नियमानुसार हल्का पटवारी से वादग्रस्त कृषि भूमि की चालु जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तथा हल्का पटवारी ने जब वादीया को नकल की जरूरत किस बाबत् है उसके बारे में पुछताछ करने पर वादीया द्वारा हल्का पटवारी को बताया कि वादीया को वादग्रस्त कृषि भूमि में से वसीयतसुदा 133/400 वॉ हिस्से की भूमि पर सुधार कार्य करने हेतु व घरेलु आवश्यकता हेतु ऋण की जरूरत होने के कारण वादग्रस्त कृषि भूमि की चालु जमाबन्दी की नकल की आवश्यकता है। तब हल्का पटवारी ने वादीया को वादग्रस्त कृषि भूमि की चालु जमाबन्दी की नकल देने के बाद चालु जमाबन्दी को वापस वादीया से लेकर नकल को देखकर व पढ़कर बताया कि वसीयतसुदा हिस्सा चालु जमाबन्दी में वादीया के नाम दर्ज नही है अपितु प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज है तब वादीया द्वारा हल्का पटवारी से पुछताछ की कि वसीयतसुदा 133/400 वॉ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज कैसे हुआ, तब हल्का पटवारी ने बताया कि खातेदार लाच्छी के फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 493 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का नाम खातेदार लाच्छी के स्थान पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया, तब वादीया द्वारा हल्का पटवारी से नियमानुसार म्यूटेशन संख्या 493 की नकल भी हल्का पटवारी से प्राप्त की। खातेदार लाच्छी द्वारा अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में निहित व दर्ज 133/400 वॉ हिस्सा के सम्बंध में वादीया के पक्ष में दिनांक 20.02.2020 को वसीयतनामा निष्पादित करने से तथा खातेदार लाच्छी का स्वर्गवास दिनांक 15.07.2020 को होने से व खातेदार लाच्छी के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त वसीयतनामा कानूनन प्रभाव में आने से तथा वसीयतसुदा हिस्से के सम्बंध में कानूनन वादीया को हक व अधिकार प्राप्त होने से, वसीयतसुदा भूमि के सम्बंध में बिना हक व अधिकार के हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 से मिलीभगत व सांठ गांठ कर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम खातेदार लाच्छी का दर्ज किया गया फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 493 कानून की दृष्टि में प्रारम्भ से ही शून्य है, जिसके आधार पर वादीया को वसीयतसुदा भूमि के सम्बंध में कानूनन प्राप्त हक व अधिकार समाप्त नही होते है तथा वादीया वसीयतसुदा वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में कानूनन प्राप्त हक व अधिकार के सम्बंध में खातेदारी घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि में से 133/400 वॉ हिस्सा के सम्बंध में वादीया के पक्ष में खातेदार लाच्छी द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 20.02.2020 के आधार पर वादीया को कानूनन प्राप्त हक व अधिकार के सम्बंध में वादीया को खातेदार घोषित किया जावे, इस हेतु यह वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादीया को वादग्रस्त कृषि भूमि में से वसीयतसुदा भूमि वादीया के नाम दर्ज नही होने व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज होने की जानकारी प्रथम बार चालु जमाबन्दी व फौतेंदगी म्यूटेशन संख्या 493 की नकल दिनांक 21.05.2024 को प्राप्त करने पर हुई तब वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या

1 से 5 को वसीयतसुदा भूमि की खातेदारी वादीया के नाम दर्ज करवाने हेतु निवेदन दिनांक 22.05.2024 को किया तो प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा वादीया के निवेदन को अस्वीकार कर दिया। जबकि वादीया कानूनन वसीयतसुदा भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। इस हेतु यह वाद बाबत् खातेदारी घोषणा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादकारण खातेदार लाच्छी द्वारा अपने जीवनकाल में वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित व दर्ज उसके 133/400 वॉ हिस्सा के सम्बंध में वादीया के पक्ष में दिनांक 20.02.2020 को वसीयतनामा निष्पादित करने से, खातेदार लाच्छी का स्वर्गवास दिनांक 15.07.2020 को होने पर उक्त वसीयतनामा कानूनन प्रभाव में आने से व वसीयतनामा के आधार पर वसीयतसुदा भूमि के सम्बंध में वादीया को कानूनन हक व अधिकार प्राप्त होने से, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा वसीयतसुदा भूमि का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 493 अपने नाम दर्ज करवाने से, फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 493 कानून की दृष्टि में प्रारम्भ से ही शून्य होने से, ऐसे प्रारम्भ से ही शून्य म्यूटेशन के आधार पर वादीया को वसीयतनामा के आधार पर वसीयतसुदा भूमि के सम्बंध में प्राप्त हक व अधिकार समाप्त नहीं होने से, वसीयतसुदा भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीया के नाम दर्ज नही होने व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज होने की जानकारी वादीया को प्रथम बार दिनांक 21.05.2024 को होने पर वादीया द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को वसीयतसुदा भूमि वादीया के नाम दर्ज करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा वापस दर्ज करवाने से इन्कार करने पर व वादीया वसीयतसुदा भूमि की कानूनन खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने की अधिकारिणी होने से बमुकाम् ग्राम सिन्धीनगर, तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो सतत् जारी है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम सिन्धीनगर, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 437/1 रकबा 0.0809 हैक्टेयर में से 133/400 वॉ हिस्सा के सम्बंध में खातेदार लाच्छी द्वारा वादीया के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 20.02.2020 के आधार पर वादीया को वसीयतसुदा उपरोक्त हिस्से के सम्बंध मे प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के स्थान पर खातेदार घोषित किया जावे।

वादिया का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सम्मन बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सं. 1, 3, 4, 5 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1, 3, 4, 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वाद पत्र के पद सं. 1 से 11 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। अतः जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि वादीया का वाद स्वीकार कर वाद पत्र के पद सं. 11में चाहे गये अनुतोष के अनुसार डिक्री किये जाने में प्रतिवादी सं. 2 सहमत है। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने तथा सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने एवं प्रतिवादी सं. 2 द्वारा वादीया के वाद पत्र को स्वीकार करने के कारण पत्रावली में तनकीयात की आवश्यकता नही होने से पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादीया द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादीया की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र हवा पुत्री बाबूखां का पेश किया गया।

वादीया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खसरा नम्बर 268 ग्राम सिन्धीनगर , प्रदर्श 2 वसीयतनामा लाछी बहक हवा दिनांक 20.02.2020 की मूल प्रति, प्रदर्श 3 म्यूटेशन सं. 493 ग्राम सिन्धीनगर की

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

सत्य प्रतिलिपि, प्रदर्श 4 वसीयतकर्ता लाछी का मृत्यु प्रमाण पत्र, प्रदर्श 5 वादी का आधार कार्ड, आदि प्रदर्शित करवाये गये।

वादीया अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों का समर्थन करते हुए कथन किया कि लाच्छी पत्नी खुदाबक्स खां निवासी सिंधीनगर द्वारा वादीया के पक्ष में दिनांक 20.02.2020 को जरिये वसीयतनामा राजस्व ग्राम सिंधीनगर के खसरा नंबर 437/1 रकबा 0.0809 हैक्टयर में से लाच्छी का 133/400 वां हिस्सा निष्पादित किया। वादीया द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामा का प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत कर कोई खण्डन नहीं किया गया है एवं न ही कोई जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिस पर वादीया की साक्ष्य अखण्डित रही है। प्रतिवादी सं. 2 द्वारा वादीया के वाद पत्र के अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने की सहमति प्रदान की है। वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पेश किया गया। न्यायिक दृष्टान्त हरिवल्लभ बनाम भगवान सहाय 2018 आर.बी.जे. 306 में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया कि **राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955– धारा 88 व्यक्ति जिसके पक्ष में मृतक ने अपनी भूमि के बाबत वसीयतनामा निष्पादित किया है मृतक की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।** वादिया द्वारा खातेदारी अधिकारी की घोषणा के लिए अपंजीकृत वसीयतनामा प्रस्तुत किया है जिसका निर्धारण अन्तर्गत धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वादिया द्वारा प्रस्तुत अपंजीकृत वसीयतनामा को अन्तर्गत धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर लाच्छी पत्नी खुदाबक्स खां जाति मुसलमान(सिन्धी) निवासी ग्राम सिन्धीनगर के वारिसानों को नोटिस जारी कर उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 20/03/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

हवा — इमरान वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 56 / 2024

निर्णय दिनांक :– 20/05/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1, 3 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 2 स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी सं. 6 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादिया द्वारा खातेदारी अधिकारी की घोषणा के लिए अपंजीकृत वसीयतनामा प्रस्तुत किया है जिसका निर्धारण अन्तर्गत धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वादिया द्वारा प्रस्तुत अपंजीकृत वसीयतनामा को अन्तर्गत धारा 135(2) भू राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर लाच्छी पत्नी खुदाबक्स खां जाति मुसलमान(सिन्धी) निवासी ग्राम सिन्धीनगर के वारिसानों को नोटिस जारी कर उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20/5/2025 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
			खर्चा गवाहान		
महनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			दर0 तलबाना		
			मीजान		
मीजान					

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा